न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–818 / 2017

1. देवीसहाय
2. ओमकार — पुत्रान श्री भूरा
3. कैलाश

समस्त जाति जाट, निवासीयान मानपुरी स्टेण्ड दुडकी, तन माजीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

4. बरजी बेवा भूरा

–अपीलार्थीगण–

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री तुलसीराम
2. बनवारी पुत्र श्री तुलसीराम
3. रामगोपाल पुत्र सेडूराम
4. जगदीश पुत्र सेडूराम

समस्त जाति जाट, निवासियान शिवसिंहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स / वादीगण–

5. छीतर मल
6. कानाराम — पुत्रान सूस्या
7. जगदीश
8. गुल्ली देवी बेवा सूस्या
9. अणची देवी बेवा बंशीधर
10. रामावतार
11. अर्जुन
12. जयराम — पुत्रान बंशी
13. हरि
14. महेश
15. बनवारी
15. जवाहर पुत्र हीरा

समस्त जाति जाट, निवासियान बीडवाली ढाणी, तन माजीपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंटस / प्रतिवादीगण–

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री अरविन्द कुमार पारीक अपीलांट की ओर से।

2– श्री एस0 के0 मिठारवाल रेस्पोडेंट सख्या 1 लगायत 4 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–20–11–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04–01–2017 एवम निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 6.6.2017 न्यायालय ए0सी0एम0 शाहपुरा उनवानी बाबूलाल बनाम छीतर व अन्य वाद संख्या 49/2015 एवं 178/2016 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 1 लगायत 4 द्वारा एक वाद विरूद्ध अपीलान्ट्स एवं रेस्पो0 सख्या 05 लगायत 15 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 572 रकबा 7.68 हैक्टैयर वाके ग्राम माजीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित हैं जिसकी खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त रूप से हैं। वादग्रस्त भूमि का जुबानी बंटवारा किया जाकर मोके पर काश्त की जा रही हैं। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण के मकानात में जाने के लिये रास्ता अंकन करते हुऐ वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कब्जा काश्त, सरस–नरस तथा राजस्व बोर्ड के नियमानुसार बतौर हिस्सा बंटवारा करके लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 21/01/2017 को प्राथमिक डिक्री तथा दिनांक 06–06–2017 को अंतिम डिक्री पारित की गई जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4/1/2007 को प्राथमिक डिक्री पारित करते समय इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि प्रतिवादीगण कुर्रेजात आने के पश्चात कुर्रेजात के विरूद्ध कोई आपत्ति होने व मौका व रिकार्ड के विपरीत हो, तो उसके खिलाफ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

है तथा अपना जवाब दावा पेश कर सकते हैं। यही नहीं विचारण न्यायालय मौखिक रूप से इस बात भी सहमत हो गई थी कि कुर्रेजात प्रस्ताव व बंटवारा यदि मौखिक के विपरीत पाया जावे तो जवाब दावे के आधार पर तनकियात का निर्माण कर लिया जावेगा तथा साक्ष्य सबूत का दोनों पक्षों को अवसर दिया जावेगा। इसके विपरीत बिना किसी पक्ष के उपस्थित हुऐ ही एवं बिना किसी हस्ताक्षर के दावा मनमर्जी तौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के दिनांक 6–6–2017 को कैम्प में रखकर डिक्री कर दिया गया। दिनांक 6–6–2007 को कोई भी पक्ष उनके समक्ष उपस्थित नहीं था। आदेशिका दिनांक 4–1–2017 की कोई पालना नहीं की गई कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई न ही उन्हें सूचित किया गया। खसरा नम्बर 572/3 जो कि शामलाती रास्ता रखा गया हैं वह भी जबरन खसरा नम्बर 572/1 एवम 572/4 के मध्य से काटा गया हैं जो कि असुविधाजनक हैं। अपीलान्ट्स को कुर्रेजात पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देने से मौके की कब्जेकाश्त की स्थिति को वे स्पष्ट नहीं कर सके तथा अपीलाधीन निर्णय मौके व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट्स को बिना सूचना दिये प्रकरण दिनांक 6–6–2017 को कैम्प जगतपुरा में रख लिया गया अपीलान्ट्स ने दिनांक 06–06–2017 को अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट बाबत जानकारी चाही तो उन्हें बतलाया गया कि साहब कैम्प में गये हुए है तथा आपको जुलाई में आकर पेशी मालुम करनी पडेगी। इस पर अपीलान्ट्स द्वारा जुलाई के दूसरे सप्ताह में कोर्ट में जाकर पहुंचा तो बताया कि कैम्प 15 जुलाई बढा दिये गये है इसलिये अलग माह में आकर पता करे क्योंकि सभी पेशियॉ अगस्त की दी जावेगी। अपीलान्ट पुनः 9 अगस्त को अपने अधिवक्ता के पास गया, तो बताया गया कि राजकीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हडताल पर चले गये हैं इसके पश्चात अपीलान्ट को 28 अगस्त को हडताल टूटने के बाद वकील अपीलान्ट ने कहॉ कि आप 5 तारीख को आ जाओं इसपर दिनांक 05–09–2017 को वकील साहब ने पत्रावली की जानकारी की तो मालुम चला कि प्रकरण में दिनांक 06–06–2017 को निर्णय कर दिया गया हैं इसपर दिनांक 06–09–2017 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपील को जानकारी दिनांक 06–09–2017 से समयावधि में माना जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा की जावे। अपीलान्ट्स द्वारा उपर्युक्त कथन करते हुए निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे एवं माननीय न्यायालय यदि उचित समझे तो प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 सख्या 01 लगायत 04 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। उपभपक्ष द्वारा कथन किया गया कि रेस्पो0 संख्या 05 लगायत 16 तरतीबी रेस्पोडेन्ट है जिनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं अतः उनकी तामील हजफ की जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जावे। इसपर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5–अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय उन्हें बिना सुने तथा एकतरफा में पारित किया गया हैं जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धात के विपरीत हैं। विभाजन मौके के विपरीत किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावें।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेट्स द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत अपील जान–बूझकर दैरी से प्रस्तुत की गई हैं तथा विलम्ब के कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण नहीं बतलाये गये हैं अतः मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री एवम अंतिम डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो कि पोषणीय नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पूर्ण रूप से मौके व कब्जे के आधार पर पारित किया जाकर वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य उचित रूप से बंटवारा किया गया हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई हैं अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2003 एस0सी0 267,एआईआर 1961 एस0 सी0 790, आरआरटी 2014 (1) 397,आरआरटी 2014 (2) 1349, 2016 (1) सीसीसी 165 प्रस्तुत किये गये।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति से प्राथमिक डिक्री दिनांक 04–01–2017 को पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं।अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04–01–2017 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06–06–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं जबकि पृथक–पृथक डिक्री की अपील भी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाना कानूनन अनिवार्य हैं। अपीलान्ट्स द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई हैं तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर विलम्ब के कारणों के संबंध में कथन किया गया है कि अपीलान्ट्स को बिना सूचना दिये प्रकरण दिनांक 06–06–2017 को कैम्प जगतपुरा में रख लिया गया अपीलान्ट्स ने दिनांक 06–06–2017 को अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट बाबत जानकारी चाही तो उन्हें बतलाया गया कि साहब कैम्प में गये हुए है तथा आपको जुलाई में आकर पेशी मालुम करनी पडेगी। इस पर अपीलान्ट्स द्वारा जुलाई के दूसरे सप्ताह में कोर्ट में जाकर पहुंचा तो बताया कि कैम्प 15 जुलाई बढा दिये गये है इसलिये अलग माह में आकर पता करे क्योंकि सभी पेशियॉ अगस्त की दी जावेगी। अपीलान्ट पुनः 09 अगस्त को अपने अधिवक्ता के पास गया, तो बताया गया कि राजकीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हडताल पर चले गये हैं इसके पश्चात अपीलान्ट को 28 अगस्त को हडताल टूटने के बाद वकील अपीलान्ट ने कहॉ कि आप 05 तारीख को आ जाओं इसपर दिनांक 05–09–2017 को वकील साहब ने पत्रावली की जानकारी की तो मालुम चला कि प्रकरण में दिनांक 06–06–2017 को निर्णय कर दिया गया हैं इसपर दिनांक 06–09–2017 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं। अपील को जानकारी दिनांक 06–09–2017 से समयावधि में माना जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा की जावे।अपीलान्ट्स द्वारा विलम्ब के संबंध में कारित उपर्युक्त कथन पर्याप्त एवं संतोषजनक नहीं हैं। किये गये कथनों के संबंध में अधिवक्ता का कोई शपथ–पत्र अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।अपीलान्ट्स के इस कथन पर विश्वास नहीं किा जा सकता है कि अधिवक्ता के प्रयासों के बावजूद भी प्रकरण की जानकारी किया जाना संभव

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नहीं हो सका हो। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई हैं तथा विलम्ब के लिये कथन किये गये कारण पर्याप्त एवं संतोषजनक नहीं हैं अपील लापरवाही पूर्वक विलम्ब से प्रस्तुत की गई हैं अतः प्रार्थना–पत्र धारा 5 स्वीकार योग्य नहीं हैं तथा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है।इसके अतिरिक्त पृथक–पृथक डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो कि चलने योग्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर पारित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर बखूबी चस्पा होते हैं। उपर्युक्त विवेचन से प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं होने से खारिज योग्य हैं।

8– अतः अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने तथा पृथक–पृथक डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत किये जाने के कारण पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04–01–2017 एवम निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06–06–2017 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 20–11–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर